न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—36 / 2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
..... वादी

बनाम

जोगाराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी 40 केजेडी तहसील खाजूवाला।
..........प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2 श्री पुरूषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:— दिनांक :— **31.10.2022**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.9.2018 में पारित आदेश" पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 36 / 2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 6 / 2013 को 14.2.14 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी गण बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.2.14 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद इस आधार पर प्रस्तुत है कि चक 40 केजेडी मु0नं0 68 / 33 किला नं0 1 ता 13 में खातेदार जोगाराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी 40 केजेडी अवैध खनन करते होना पाया गया अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:13:30 IST
Reason: SelfAttested

रिमाण्ड पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए जिसको प्रदर्श—1 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि पटवार हल्का डेरीपोस्ट के चक 40 केजेडी के मु0नं0 68 / 33 के किला नं0 1 ता 13 कुल रकबा 13.00 बीघा भूमि रकबा पर जोगाराम पुत्र भोजाराम जाति भील का कब्जा

होकर मौके पर करीब 8–9 बीघा में ग्वार की बुवाई की हुई है। मौके पर मौतबिरान ने बताया की उक्त रकबा काश्तकार जोगाराम के ही कब्जा काश्त में निर्विवादित रूप से है। उक्त रकबा पर मेड़बन्दी की हुई है व किला नं0 2 में मकान भी काश्तकार जोगाराम ने बनाया हुआ है। उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज है व मुतबिक जमाबंदी किसी भी स्थगन या विवाद का नोट अंकित नहीं है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी द्वारा जवाब दिनांक 02.08.2022 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब का सार निम्नानुसार है कि वादीगत रकबा प्रतिवादीगण का चक 40 केजेडी के मु0नं0 68/33 के किला नं0 1 ता 13 तादादी 13.00 बीघा क0/अ0क0 खातेदारी रकबा जिसपर निरन्तर 30–35 वर्षो से काबिज काश्त है मौके पर ढ़ाणी बनाकर रहवास है। न्यायालय हाजा द्वारा एकपक्षीय दिनांक 14.2.14 को खारिज कर दिया तो प्रार्थी/प्रतिवादी ने माननीय न्याायलय आर0ए0ए0 बीकानेर में चाराजोही की तो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 14.2.14 निरस्त कर अपील स्वीकार कर दिनांक 24.9.18 को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। जिसकी पालना में रिकॉर्ड में पुनः प्रतिवादी का नाम दर्ज किया जाना था। वादी का वाद विधि से बाधित है तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.9.18 के खिलाफ कोई निगरानी नहीं की गई है। स्वतः ही प्रतिवादी खातेदार दर्ज होने के अधिकारी है। दावा सारहीन है तथा प्रतिवादी द्वारा कोई खननकार्य नहीं किया गया है। केवल खेती ही करता है मौके पर ग्वार की काश्त खड़ी है। अतः जवाब पेश कर अर्ज है कि जवाब स्वीकार कर वादी वादी खारिज कर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय की पालना में प्रतिवादी का रिकॉर्ड पर पुनः खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

मूलवाद में वादपत्र रिमाण्ड पश्चात जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार हैः–

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

..... जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज किया जावे।

... जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:13:30 IST
Reason: SelfAttested

राज पैरोकार के साक्ष्य/रिपोर्ट व जवाब प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मेरा जवाबदावा

स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.2.14 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है नाही कोई स्वतंत्र गवाहों के बयान करवावे गए जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख, स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 10.8.2022 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य–सबूत, गवाह दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 10.8.2022 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 12.9. 2012 परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी [illegible] के पक्ष में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 साक्ष्य सबूत के तौर पर जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:13:30 IST
Reason: SelfAttested

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत, स्वतंत्र गवाह दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 36/2022 सरकार बनाम जोगाराम खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 6/2013 दिनांक 14.2.14 की

पालना में चक 40 केजेडी मु0नं0 68/33 किला नं0 1 ता 13 की 13.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:13:30 IST
Reason: SelfAttested